



## AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना शमशाबाद जनपद आगरा । 30.07.2022

थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा फाइनेंस कर्मी के साथ लूट करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूट के रू0 35,350/-, घटना में प्रयुक्त 01 लकड़ी का डण्डा, 01 अदद तमंचा मय कारतूस, 01 मोटरसाइकिल(घटना में प्रयुक्त) बरामद...

दिनांक 28.07.2022 को वादी श्री सीपेन्द्र कुमार द्वारा थाना शमशाबाद पर तहरीर दी गयी कि वादी फाइनेंस कार्यालय राजपुर चुंगी से क्लेक्शन करने हेतु ग्राम इसौली का पुरा, धमैना, मीरपुर गुबरारी से वापस नया बांस के लिये जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल अपाचे सवार 03 व्यक्तियों द्वारा डण्डा व तमंचा दिखाकर बैंग में रखे रू0 1,50,000/-, 01 टैबलेट, 01 बायो मैट्रिक मशीन लेकर भाग गये। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर मु0अ0सं0 198/22 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गम्भीरता से लेते घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष शमशाबाद को पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 30.07.2022 को थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में इरादतनगर रोड बाईपास के सामने गश्त व चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाला एक अभियुक्त मोटरसाइकिल के साथ इसौली तिराहे पर खडा है, अगर आप जल्दी करें तो पकडा जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँची। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा एक वारगी दविश देते हुये चारो ओर से घेर-घोट कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट के रू0 35,350/-, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद लकड़ी का डण्डा, 01 अदद मोटरसाइकिल अपाचे(घटना में

प्रयुक्त) बरामद हुआ। माल बरामदगी व अवैध असलाह बरामदगी के आधार पर धारा 411 भा0द0वि0 की बढोत्तरी व मु0अ0सं0 201/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

### **पूछताछ का विवरण:-**

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम शिवकुमार बताया गया। कडाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि मैंने अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक फाइनेंस कर्मी से लूट की थी। लूट करने के बाद रूपयों का बैग लेकर इसी अपाचे मोटरसाइकिल से भाग गये थे। हम तीनों लोगो ने बैग में रखे पैसे का आपस में हिस्सा बाट कर लिया था।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

01. शिवकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ जग्गू निवासी भाहई थाना मलपुरा जनपद आगरा।

### **आपराधिक इतिहास का विवरण:-**

01. मु0अ0सं0 198/22 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 201/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

### **फरार अभियुक्तगण का विवरण:-**

01. जगवीर उर्फ जैश पुत्र माताप्रसाद निवासी ग्राम भाहई थाना मलपुरा जनपद आगरा।

02. देवा उर्फ देवराज पुत्र मुकेश निवासी ग्राम भाहई थाना मलपुरा जनपद आगरा।

### **बरामदगी का विवरण:-**

01. रू0 35,350/- (लूट के)।

02. 01 अदद मोबाइल फोन।

03. 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

04. 01 अदद लकडी का डण्डा (लगभग 2.5 फुट लम्बाई)।

05. 01 अदद मोटरसाइकिल अपाचे(घटना में प्रयुक्त)।

### **पुलिस टीम का विवरण:-**

01. थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

02. उ0नि0 श्री विवेक कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

03. का0 अनिल कुमार, का0 सोहन कुमार, थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

**मीडिया सेल जनपद आगरा।**